

**अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक-वा0क0अधि0 / वृहत्तर पीठ / ✓ / 2023, दिनांक:-अगस्त 04, 2023,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन वृहत्तर पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 11-09-2023 एवं दिनांक 12-09-2023 को वृहत्तर पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित वृहत्तर पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री अजय कुमार दीक्षित, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, मेरठ, श्री राजीव रंजन, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद, श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ एवं श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-04-08-2023,

( रणधीर सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0 / वृहत्तर पीठ / 954 / 2023, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 मेरठ, पीठ-1 इलाहाबाद,

पीठ-2 व पीठ-3 लखनऊ।

2-मुन्सरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता / विवरण / कम्प्यूटर), मुख्यालय।

3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।